## Hichar Vousiant Che Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1107] No.1107] नई दिल्ली, मंगलबार, जून 7, 2011/ज्येष्ठ 17, 1933

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 7, 2011/JYAISTHA 17, 1933

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2011

का.आ. 1316(अ).—दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिल्ली नगर कला आयोग (डीयूएसी) में पद का कार्यभार संभालने की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, श्री राज रेवाल को अध्यक्ष (अंशकालिक) तथा श्रीमती सोनाली भगवती, श्री ईरिक पी. माल एवं श्री सतीश खन्ना तथा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव को सदस्य (अंशकालिक) के रूप में नियुक्त करती है। केन्द्र सरकार आयोग की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रितों के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों को भी एतद्वारा नामित करती है।

[फा. सं. ए-11013/2/2011-डीडी 1ए] एन.टी. जोसेफ, अवर सचिव (डी डी 1 ए)

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd June, 2011

S.O. 1316(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Raj Rewal, as Chairman (Part Time) and Smt. Sonali Bhagwati, Shri Eric P. Mall, Shri Satish Khanna and Joint Secretary (DL) in the Ministry of Urban Development, as Members (Part Time) in the Delhi Urban Art Commission (DUAC), for a period of three years from the date of assumption of the charge of the post, or until further orders, whichever is earlier. The Central Government also hereby nominates the representative of the Government of NCT of Delhi as permanent invitee to the meetings of the Commission.

[F. No. A-11013/2/2011-DD IA)]

N.T. JOSEPH, Under Secy. (DD IA)